राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प.1(29)/चिस्वा/ग्रुप-3/96 जयपुर, दिनांक 13-1-2006

अधिसूचना

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) की धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 उप धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिये निम्न अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्तव्यों का उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रयोग करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात –

1. समस्त उप निदेशक (आयुर्वेद)
2. समस्त सहायक औषधि नियन्त्रक (आयुर्वेद)
3. समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी
4. समस्त औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद)
5. समस्त आयुर्वेदिक / युनानी / होम्योपैथिक चिकित्सक राजकीय औषधालय/चिकित्सालय।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(सुधीर भार्गव)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदया, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद।
4. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य, आयुर्वेद।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त
9. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
10. निदेशक, आयुर्वेद, राज. अजमेर।
11. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राज्य के आगामी असाधारण गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशनार्थ।
12. समस्त उप निदेशक, आयुर्वेद, राज. / समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी
13. समस्त औषधि निरीक्षक, (आयुर्वेद) राज.
14. समस्त आयुर्वेदिक/युनानी/होम्योपैथिक चिकित्सक राजकीय औषधालय/चिकित्सालय
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव